

क/ 100/वि.वि./न.पा.नि./2016

दुर्ग, दिनांक 02/06/15

नगर पालिक निगम, दुर्ग विद्युत विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग में एकल खिड़की रजिस्टर्ड अ/ब विद्युत लायसेंसी ठेकेदारों से निम्नांकित कार्य हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से तीन लिफाफा पद्धति द्वारा दिनांक 20/06/16 को अपराह्न 04:30 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 21/06/16 सांय 04:00 बजे को उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र www.municipalcorporationdurg.com से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. संलग्न करना होगा।

विवरण निम्नानुसार है :-

कं.	कार्य का विवरण	लागत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं प्रकार	अमानत राशि
1	निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित 30 आंगनबाडी में विद्युत फिटिंग का कार्य (SOR CG PWD Elect RaipurDt 01/07/15 से कम या अधिक प्रतिशत में)	रु 5.77 लाख	'अ' रु 750/-	रु 6,000/- का एफ.डी.आर.

निविदा के संबंध में अन्य जानकारियां एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक अभियंता (विद्युत) नगर पालिक निगम, दुर्ग से प्राप्त किये जा सकते हैं।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क./ 100/I/वि.वि./न.पा.नि./2016
प्रतिलिपि :-

दुर्ग, दिनांक 02/06/15

1. मान्. महापौर जी/प्रभारी विद्युत अग्नि शमन को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जनसंपर्क अधिकारी, उपरोक्त निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

कार्यालय विद्युत विभाग नगर पालिक निगम, दुर्ग
आंगनवाड़ी में वायरिंग कार्य हेतु नियम व शर्तें

1. सशर्त निविदाये स्वीकृत नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार केन्द्रीय शासन के उपक्रम अथवा राज्य शासन के उपक्रमों यथा रेलवे, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, छ.ग. गृह निर्माण, छ.ग. विद्युत वितरण कम्प. में वैध पंजीकृत ^{एवं} उर्जा विभाग से 'अ'/'ब' वर्ग विद्युत लायसेंसी ठेकेदार होना अनिवार्य है।
3. वाणिज्यकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 1 (4) के अन्तर्गत 1 प्रतिशत राशि देयको से काटी जावेगी।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति दुर्ग न्यायालय वाद का क्षेत्र होगा।
6. निविदा को बगैर कोई कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग